2.2

13:59 FROM:C.E.-1 PWD DDN. 2532451

6

प्रति भारत/कार्य | ① मा.मु.मं.घो.

क्रि.0 II

संख्या-2484/ ...-2/05-07(प्रशा0)/05 टीसी

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर 1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक [illegible] 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 109(एक सौ नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 109 कार्यों के रुपये 14452.19 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 12936.35 लाख (एक सौ उनतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 10.90 लाख (रु0 दस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी, और प्रश्नगत योजना हेतु भूमि का कब्जा होने के बाद ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में धनराशि शासन को 31.03.06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

शासनादेश संख्या-2454/ III(2)/06 07(भा.आ.)/[illegible]

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	धराट (कोटद्वार) मुंडला मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	139.00	139.00	0.10
2.	कोटद्वार के अर्न्तगत ऐता में खो नदी पर सेतु निर्माण।	80 मी0	112.90	112.90	0.10
3.	कोटद्वार के अर्न्तगत [illegible] गुलरझाला (तेलीपाड़ा) मार्ग का पक्कीकरण।	3.00	43.95	43.95	0.10
4.	अल्मोड़ा में ग्राम सभा [illegible] को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	27.80	27.80	0.10
5.	जनपद अल्मोड़ा के [illegible] ग्राम सभा अंगरे (पच्चीरी) को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.10
6.	अल्मोड़ा के अर्न्तगत ग्राम सभा छानी को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
7.	अल्मोड़ा के अर्न्तगत ग्राम सभा खीराकोट धोलछा(टोटा रिलिंग) व गरूड़ा जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	97.30	97.30	0.10
8.	अल्मोड़ा के अर्न्तगत ग्राम सभा [illegible] को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
9.	अल्मोड़ा के अर्न्तगत ग्राम [illegible] ओखली कोटली एवं बजेल को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
10.	जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत ग्राम सभा के अर्न्तगत ताकुला [illegible] मोटर मार्ग से ग्राम सभा [illegible] को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
11.	जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत अल्मोड़ा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी. [illegible] में ग्राम सभा पचोलि[illegible] को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण	3.00	208.50	208.50	0.10
12.	जनपद अल्मोड़ा में जैंती [illegible] सुरड़ी-[illegible] खनोलिया [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	41.70	41.70	0.10
13.	अल्मोड़ा में शहीद [illegible] [illegible] विनायक [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	188.40	188.40	0.10
14.	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00+ 40मी.सेतु	81.21	81.21	0.10
15.	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] गणनाथ मोटर मार्ग का डामरीकरण।	5.00	82.56	82.56	0.10
16.	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा [illegible] के अर्न्तगत भतरौजखान [illegible] मोटर मार्ग का विस्तार	5·00	139.00	139.00	0.10
17.	जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत [illegible] जैंती मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00			[illegible]

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

Assistant Engineer (IV)
Prov. Div. P.W.D. Ranikhet
H. Q. Ramnagar

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपरा... जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय... कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धन... आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

... प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ... आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिन... 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी... किया जाय।

12. आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग... की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि...

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक मे लोक निर्माण... अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य... आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के... जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या यू.ओ. 64/(2)/2005 दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 109 कार्यों की सूची।

अनु सचिव।

संख्या-2454(1)/III-2/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3- अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5 - समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,उत्तरांचल।
6 - मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
7 [illegible]।
10 गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

4982
9-11-05

9 NOV 2005

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
रानीखेत